कार्यालय नगर परिषद मझौली जिला–सीधी (म.प्र.)

PHONE. NO. 07803 – 299-308 Mail id – cmomajholisidhi@mpurban.gov.in

क्र. /705/ न.प. / राजस्व / 2026 मझौली,दिनांक 18/05/26

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्म / अन्य से आनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://www.mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है:–

क्र.	कार्य का नाम	1. कार्य की समयावधि 2. कार्य की लागत	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 2. अमानत राशि	रिमार्क
1..	वाहन स्टैंड शुल्क वसूली का कार्य वित्तीय वर्ष 2026–27 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक)	01 वर्ष 05.00 लाख	2000.00 30000.00	

नोटः– कार्यालय द्वारा उपरोक्त निविदाओं में किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन केवल बेवसाइट https://www.mptenders.gov.in/ में किया जावेगा इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी नही की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मझौली
जिला–सीधी (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद मझौली जिला–सीधी (म.प्र.)

नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत वाहन स्टैंड फीस वसूली हेतु नीलामी व अनुबंध शर्त वर्ष 2026-27

1. जमा अमानत राशि का समायोजन प्राप्त उच्चतम निविदा में जमा होने वाली 25 प्रतिशत राशि में समाहित/समायोजित नही की जावेगी।
2. उच्चतम निविदादाता (ठेकेदार) को शेष सम्पूर्ण राशि ठेका राशि 09 मासिक किस्तों में 31 दिसम्बर 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, न जमा होने की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमा उच्चतम बोली राशि का 25 प्रतिशत एवं जमा अमानत राशि सहित सकल राशि जप्त कर ली जावेगी तथा विभागीय वसूली प्रारंभ करा दी जावेगी, जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ठेकेदार को निर्धारित किस्त राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में निर्धारित किस्त राशि पर 25 प्रतिशत ब्याज के साथ किस्त जमा करना होगा एक माह तक राशि जमा नही की जाती तो ठेका निरस्त कर समस्त जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी व ठेका निरस्त कर छति हुई राशि की पूर्ति संविदाकार के चल व अचल सम्पत्ति से पूर्ति की जावेगी।
4. ठेकेदार को वाहन स्टैंड फीस की वसूली बस स्टैंड एवं पूर्व निर्धारित टैक्सी स्टैंडों से वसूली करना होगा अन्यत्र जगहों से वसूली करना अवैधानिक होगा। अन्यत्र जगहों से वसूली करने की स्थिति में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. जिन व्यक्तियों के ऊपर नगर परिषद मझौली के किसी भी मद का राशि बकाया होगा उन्हे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।
6. ठेकेदार को नगर परिषद मझौली के निर्धारित दर पर ही वाहन स्टैंड फीस की वसूली करना होगा, अनियमितता पाये जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
7. ठेकेदार को वाहन स्टैण्ड फीस वसूली हेतु नगर परिषद मझौली से अधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, बगैर अधिकार पत्र प्राप्ति के वसूली करना अवैधानिक होगा जो अपराध की श्रेणी में होगा।
8. ठेकेदार को वाहन स्टैण्ड फीस वसूली हेतु रखे गए कर्मचारियों की सूची में नाम व पता एवं तीन प्रति फोटो सहित कार्यालय में जमा करना होगा तथा वसूली के दौरान सम्बंधित कर्मचारी अपना परिचय पत्र (आई डी कार्ड) लगाकर वसूली करेंगे।
9. ठेकेदार को वाहन स्टैण्ड फीस वसूली की प्रमाणित रसीद बुक 70 रुपये प्रति बुक की दर से नगर परिषद मझौली से क्रय करना अनिवार्य होगा, अन्य रसीद बुक से वसूली करना अवैधानिक व अपराध की श्रेणी में होगा एवं कटी फटी रसीद का प्रतिपर्ण कार्यालय में जमा उपरान्त ही दूसरी रसीद जारी की जावेगी।
10. नगर परिषद मझौली के अधिकृत अधिकारी को रसीद बुक चेक करने का अधिकार होगा जिसके लिए ठेकेदार व वसूली कर्मचारी बाध्य होंगे।
11. वाहन स्टैण्ड फीस की वसूली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, जोर जबरजस्ती, अभद्रता करते पाये जाने व सिद्ध होने पर म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ठेका निरस्त कर जमा सकल राशि जप्त कर ली जावेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. उच्चतम बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार परिषद/प्रशासक को होगा।
13. समय–समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों एवं नगर परिषद मझौली द्वारा जो भी नियम व शर्त में संशोधन/परिवर्तन किए जावेंगे वह ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

14. ठेके से वसूली हेतु निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को रू. 30000.00 अमानत राशि के रूप में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त निर्धारित दिनांक तक समय तक अमानत राशि 30000.00 जमा नही करने की स्थिति में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नही होगा। प्रस्ताव में भाग लेने वाले व्यक्ति को समस्त बकाया राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

15. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 2000.00 होगा जिसको ऑनलाइन जमा कर निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को प्राप्त करना होगा तभी निविदा की पात्रता होगी। अन्यथा वह निविदा की शर्ते प्राप्त कर निविदा लगाने वाले व्यक्ति के संबध में यह माना जावेगा कि उसने निविदा की शर्ते पढकर सुन समझ कर तथा शर्ते मान्य कर निविदा लगाई है जिसके संबध में उसे आपत्ति करने का हक नही होगा।

16. प्रथम निविदाकार द्वारा अनुबंध निश्पादित करने के पश्चात ही शेश निविदाकारों की जमा अमानत राशि ऑनलाइन वापस की जावेगी।

17. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि हेतु निर्धारित दर पर ही कर/फीस की वसूली की जावेगी एक ही दिन एक ही माल या वाहन पर एक से अधिक बार वसूली नही की जायेगी।

18. कार्यालय द्वारा निर्धारित दर सूची से अधिक वसूली नही की जावेगी तथा बस चालको/परिचालको एंव जीप मालिकों से दुर्व्यवहार नही किया जावेगा। वसूली के प्रति औचित्यपूर्ण शिकायतें प्राप्त होने पर जांच में सही पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जाकर जमा अमानत राशियां या धरोहर सहित राजसात करने का अधिकार नगर परिशद मझौली को होगा।

19. वसूली दरों की सूची ठेकेदार द्वारा स्वंय के व्यय पर नगर परिशद मझौली द्वारा निर्धारित सहज दृश्य स्थानों पर लिखाई जावेगी तथा सुरक्षा की जवाबदारी ठेकदार की होगी।

20. प्रथम निविदाकार की राशि 50% राशि जमा किये जाने पर दो प्रतिश्ठित व्यक्तियों की जमानतनामा एंव निविदा की राशि शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर स्वंय के व्यय से अनुबंध निश्पादित करना होगा। ठेकेदार द्वारा ठेका शर्त मान्य किये जाने पर तथा नगर परिशद मझौली आरोपित दर पर तथा निर्धारित विधि से वसूली कार्य किये जाने के संबध में अनुबंध निश्पादित करने के पश्चात ही वसूली हेतु कार्य आदेश ठेकेदार के पक्ष में नगर परिशद मझौली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी किये जावेगा अन्यथा नही । इस प्रकार वसूली हेतु कार्य आदेश जारी किये जाने के बाद किसी भी प्रकार का बिलंब होगा तो इस हेतु ठेकेदार की स्वंय जबावदारी होगी उसे इस संबध में किसी भी प्रकार की आपत्ति पाने का हक नही होगा।

21. ठेकेदार की धरोहर राशि 30000.00 ठेके अवधि के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात ही ठेकेदार के आवेदन पर मूल रसीद सहित प्रस्तुत करने पर ऑनलाइन वापस की जावेगी अमानत राशि समायोजन किसी भी स्थिति में ठेके की राशि में नही किया जावेगा।

22. ठेकेदार को निविदा राशि पर या शासन द्वारा निर्धारित राशि पर पंजीयन शुल्क जमा उपरांत कार्यालय में एग्रीमेंट पश्चात वसूली आदेश दिया जावेगा।

23. ठेकेदार नगर परिशद की लिखित पूर्वानुमति के बगैर पार्टनर नही रख सकता एंव न ही ठेके की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को हस्तांतरित कर सकेगा।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में सर्वप्रथम अपील नगर परिशद मझौली के समक्ष करना होगा एंव उसका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य या बंधनकारी होगा।

25. ठेकेदार की समयावधि में दैनिक प्रकोप शासन द्वारा ठेके विपरीत निर्देश एंव किसी कारण से होने वाली क्षति की मांग एंव रियायत, छूट की मांग ठेकेदार नही कर सकेगा। इसकी समस्त जबावदारी ठेकेदार की होगी अगार कोई देवी आपता या अन्य कारणों से नुकसान होता है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार की होगी। ठेकेदार की ठेका संबधी कोई शर्त एंव सुझाव मान्य नही होगें।

अध्यक्ष
नगर परिषद मझौली
जिला–सीधी (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मझौली
जिला–सीधी (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद मझौली जिला–सीधी (म.प्र.)

वित्त वर्ष 2026–27
वाहन स्टैण्ड वशूली शुल्क
–:निर्धारित दरः–

1. वाहन स्टैंड फीस–

(क) बस हेतु	–	30 रुपये प्रति बस प्रतिदिन
(ख) आटो, टैक्सी हेतु	–	10 रुपये प्रति टैक्सी प्रतिदिन
(ग) ट्रैक्टर/मिनी ट्रक (लोडिंग/अनलोडिंग निकाय क्षेत्रान्तर्गत)	–	20 रुपये प्रतिदिन
(घ) ट्रक (लोडिंग/अनलोडिंग निकाय क्षेत्रान्तर्गत)	–	30 रुपये प्रतिदिन

अध्यक्ष
नगर परिषद मझौली
जिला–सीधी (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मझौली
जिला–सीधी (म.प्र.)

Annexure – A

(*See clause 1, 7 of Section 1 -NIT*)

KEY DATES

Critical Dates

Published Date	19-05-2026 10:30 AM	**Bid Opening Date**	04-06-2026 12:00 PM
Document Download / Sale Start Date	19-05-2026 10:30 AM	**Document Download / Sale End Date**	02-06-2026 17.30 PM
Clarification Start Date	NA	**Clarification End Date**	NA
Bid Submission Start Date	19-05-2026 10:30 AM	**Bid Submission End Date**	02-02-2026 17.30 PM

Mandatory Submission :-

1. Scan Copy of Pay the cost of Bid Document and Earnest Money Receipt
2. Submit an affidavit Duly notarizes on Non Judicial Stamp of Rs. 100 as per Annxure B
3. Organizational Details as per Annxure H
4. Scan Copy of Adhar Card

Signature Not Verified

Digitally signed by PRABHAT WARKADE
Date: 2026.05.18 13:34:29 IST
Location: Madhya Pradesh-MP